



२०१६ वार्षिक राजस्व पण्डल मध्यपदेश, ११ अक्टूबर

प्रकाशन दिनांक १२०१६ निगरानी २४।८६-II-१६

प्रमात् कुमार सिंह पुत्रकीकराज सिंह! चौहान,
निवासी ग्राम- कर्मचारी दिक्षाण टोला, तैहसील-
गोपदवनास जिला सीधी-मध्यपदेश।

— प्रार्थी

द्वारा आज हि २-१२-१६ वो

प्रस्तुति

कलंग औंक को १२-१६
राजस्व पण्डल म.प्र. गवालिंग

७३१
१२-१२-१६

बिराच्छद

- १- विनायक सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह चौहान,
- २- जयसिंह पुत्र राजबहादुर सिंह चौहान,
निवासीपा ग्राम की किया दिक्षाण टोला,
तैहसील- गोपदवनास जिला सीधी-म०प० ।
- ३- मध्यपदेश शासन।

— प्रतिपाठीगण

निगरानी बिराच्छद आदेश एस०ही०ग०० महीदय, गोपदवनास
जिला सीधी दिनांकी १७-११-१६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यपदेश
पूरा राजस्व संहिता, १६५६। प्र०क० ७६। १५-१६ अप्र० ।

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन पत्र निष्ठ आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०ही०ग०० महीदय की विलम्ब दामा का कोई स्माधान कारण न होते हुये भी तथा विलम्ब के प्रत्येक दिवस का स्पष्टीकरण न होते हुये भी विलम्ब दामा किये जाने का ऐसा आदेश दिये जाने में खूब की गई है।
- २- यह कि, एस०ही०ग०० महीदय ने प्रकाशन के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।
- ३- यह कि, एस०ही०ग०० महीदय के समका प्रस्तुत अपील सारांश अवधि वाले थे। विलम्ब दामा का कोई स्माधान कारण न होते हुये भी तथा विलम्ब के प्रत्येक दिवस का स्पष्टीकरण न होते हुये भी विलम्ब दामा किये जाने का ऐसा आदेश दिये जाने में खूब की गई है।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4186-दो/16 जिला -सीधी

| रथान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा- षक आदि के हस्ताक्षर |
|--------------------|--|--|
| 10.7.17 | <p>आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवरथी तथा अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक स्वयं श्री प्रभात कुमार सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण को वह अब आगे नहीं चलाना चाहते है। आवेदक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>  | |